

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 02/2021

बउनवान

राज0 सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों
(प्रार्थी)

बनाम

श्री अर्पित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल उम्र 38वर्ष जाति अग्रवाल निवासी हॉस्पिटल रोड, शिव कॉलोनी, जिला बारों(मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) मैसर्स मोहित किराना स्टोर एण्ड जनरल स्टोर उर्फ अर्पित किराना स्टोर, मांगरोल रोड, जिला बारों।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गिरिराज शर्मा खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वयं)

2- स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 09.03.2021

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.03.2020 को मैसर्स मोहित किराना स्टोर एण्ड जनरल स्टोर उर्फ अर्पित किराना स्टोर, मांगरोल रोड, जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री अर्पित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.03.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उसे कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फूड) 01 लीटर के 22 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फूड) का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड)** वास्ते नमूना जांच हेतु **01 लीटर पैक के 04 पैकेट** खरीदे, जिसकी कीमत श्री अर्पित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 480/- रुपये (अक्षरे चार सौ अस्सी रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड) 01 लीटर पैक के 04 पैकेट** को चार नमूना भागों में अलग-अलग कर मूल पैकेट पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1026 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1026 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अर्पित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/156 दिनांक 19.06.2020 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 156/PHL/KOTA/Act/ 2020/228 दिनांक 28.04.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड)** उल्लंघन, भ्रामक, असुरक्षित एवं मिथ्याछाप (**Contravention, Misleading, Unsafe & Misbrand**) होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/295 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट से विक्रेता असंतुष्ट है। अतः विक्रेता की अपील पर नमूने का द्वितीय भाग पत्रांक एफएसएसए/2020/226 दिनांक 20.07.2020 द्वारा रेफरल फूड लेबोरेट्री मैसूर में भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट के सर्टिफिकेट नं0 446F/FSSA/2020 दिनांक 22.09.2020 में खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स मोहित किराना स्टोर एण्ड जनरल स्टोर उर्फ अर्पित किराना स्टोर, मांगरोल रोड, जिला बारों से पत्रांक 169 दिनांक 25.06.2020 से सूचना चाही। मैसर्स मोहित किराना स्टोर एण्ड जनरल स्टोर उर्फ अर्पित किराना स्टोर, मांगरोल रोड, जिला बारों द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 04.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्गे रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर अंतिम बहस सुनी जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किए जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्गे प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फूड) को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत स्वयं अप्रार्थी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा घी (मिल्क फूड) के 01 लीटर के 04 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदे थे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट होना नहीं पाया गया। मेरे पास उक्त घी के क्रय बिल नहीं होने के कारण कम्पनी को पार्टी नहीं बनाया गया है। जिसके लिए प्रकरण में सुधारात्मक निर्देश प्रदान किये जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किए गए खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फूड) के 01 लीटर के 04 पैकेट रेफरल फूड लेबोरेट्री मैसूर का सर्टिफिकेट नं0 446F/FSSA/2020 दिनांक 22.09.2020 में खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फूड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को राशि 7000/- रूपये (अक्षरे सात हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्गे चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)